शामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मृतक बनवारी का नाम हजफ किया जाता है। हल ग्राम सुरतराम का बास प० ह० आडवाडी तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 398, 399 400, 401, 407 कुल किता-5 रकबा 1.12 है० में से $\frac{1}{8}$ हिस्से का वादी को व $\frac{3}{8}$ हिस्से का प्रतिवादी सं० 12 ता 15 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त $\frac{1}{2}$ हिस्से से वादी, प्रतिवादी सं० 1 ता 8 के पिता मृतक मनोहर, प्रतिवादी सं० 9, 10 के पिता मृतक शंकर, प्रतिवादी सं० 11 ता 18 के पति/पिता मृतक गोदु, प्रतिवादी सं० 19 के पति मृतक नाथु, प्रतिवादी सं० 20 व प्रतिवादी सं० 22 ता 26 के पति/पिता मृतक बनवारी का नाम हजफ किया जाता है। हल ग्राम माधो का बास प० ह० आडवाडी तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 215 ता 223 कुल किता-9 रकबा 10.31 है० में से $\frac{2}{32}$ हिस्से का प्रतिवादी सं० 20 को व $\frac{1}{32}$ हिस्से का प्रतिवादी सं० 12 ता 13 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त $\frac{3}{32}$ हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 21 के पिता/दादा मृतक श्रीनिवास पुत्र किशनदास का नाम हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज रजिस्टर हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(राकेश